

प्रेम कंवर

बनाम

राजस्थान राज्य

7 जनवरी, 2009

न्यायमूर्ति (डा.) अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति (डा.) मुकुन्दकम् शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख [सपटित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2, 3 और 4] – दहेज की मांग किया जाना – दहेज की मांग का सबूत – दहेज के लिए करार का होना सदैव आवश्यक नहीं होता – अन्य संघटकों का समाधान किए जाने पर दहेज की मांग करना भी दंडनीय है, अतः दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में “करार” शब्द का अर्थ और निर्वचन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख [सपटित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख] – दहेज मृत्यु – “मृत्यु के कुछ पूर्व” पद का अर्थ – यद्यपि “कुछ पूर्व” पद से सामान्यतया यह विवक्षित होता है कि दहेज संबंधी क्रूरता या उसके लिए तंग करने के कार्य और प्रश्नगत दहेज मृत्यु के बीच अधिक समयान्तराल नहीं होना चाहिए तथापि “मृत्यु के कुछ पूर्व” पद के अंतर्गत आने वाली अवधि का अवधारण करने का कार्य प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए न्यायालयों को करना होता है।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख – दहेज मृत्यु – दहेज मृत्यु या आत्महत्या – सबूत – विचारण न्यायालय द्वारा आत्महत्या का मामला मानते हुए अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना – अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तों के लालचीपन के तथा मृतका को तंग करने और दहेज न लाने के लिए निरंतर ताने देने के तथ्य साबित होना – मृतका की जलने से मृत्यु होना तथापि, शव-परीक्षण रिपोर्ट में उसकी करोटि की हड्डियों के टूटे होने का सबूत होना – उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के अभियुक्तों को दोषमुक्त करने संबंधी निर्णय को उलटा जाना – मामले के तथ्यों और सब परिस्थितियों में उच्च न्यायालय

की यह निष्कर्ष निकालने की कार्रवाई उचित है कि यह दहेज-मृत्यु/हत्या का मामला है न कि आत्महत्या का, अतः उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटने की कार्रवाई उचित है ।

इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा राजस्थान राज्य द्वारा फाइल की गई उस अपील को मंजूर किया गया था जिसमें विद्वान् सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय की शुद्धता को प्रश्नगत किया गया था । अपीलार्थी और दो अन्य (अभियुक्तों) का भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 और 304ख और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध अभिकथित रूप से कारित करने के लिए विचारण किया गया था । मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त कृष्ण लाल ने पुलिस थाना के थाना अध्यक्ष जगमालराम (अभि. सा.-11) के समक्ष एक मौखिक रिपोर्ट यह दर्ज कराई कि उसका विवाह श्रीमती राजू 'मृतका' के साथ वर्ष 1984 में हुआ था और उसके पिता की मृत्यु 15 वर्ष पहले ही हो गई थी और तब से वह अपनी माता प्रेम कंवर, वर्तमान अपीलार्थी, और चाचा पूरन चंद के साथ रह रहा था और वह नौकरी में नहीं था-और इस प्रकार बेरोजगार था । उस दिन वह किसी काम से अपने मकान से बाहर गया था और जब वह अपराहन लगभग 1.30 बजे वापस आया तो उसने अपने मकान के निकट भीड़ देखी और अपने मकान में आग लगी हुई देखी और लोग आग बुझा रहे थे और उसे पता चला कि उसकी पत्नी, मृतका, जल गई है और उसकी मृत्यु हो गई है और इसीलिए वह पुलिस को सूचित करने आया है । इस संबंध में अन्वेषण के दौरान, मृतका के शव का शव-परीक्षण कराया गया जिसमें डाक्टरों ने यह राय व्यक्त की है कि मृतका की मृत्यु उसे मृत्युपूर्व पहुंची दुग्ध क्षतियों के कारण श्वासावरोध हो जाने से हुई है । जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अन्वेषण किया जा रहा था, तब मृतका के पिता बचना राम (अभियोजन साक्षी-1) ने तारीख 26 अप्रैल, 1988 को पुलिस थाना में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन किया गया था कि तीनों अभियुक्तों ने उसकी पुत्री (मृतका) को जलाकर उसकी हत्या की है और उसे यह भी पता चला है कि अभियुक्त की ओर से एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है जिसमें यह कथन किया गया है कि मृतका ने आत्महत्या की है किन्तु वास्तविकता यह है कि तीनों अभियुक्तों ने उसकी हत्या की है । रिपोर्ट में यह भी कथन किया गया था

कि तीनों अभियुक्त मृतका को उत्पीड़ित किया करते थे और यातना दिया करते थे क्योंकि वह अशिक्षित महिला थी और अभियुक्त सं. 1, कृष्ण लाल (मृतका का पति)-अभियुक्त यह कहा करता था कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं दिया गया है और इस प्रकार, वे उसे (मृतका को) यातना पहुंचाते रहते थे, उत्पीड़ित करते रहते थे और उसका अपमान करते रहते थे। रिपोर्ट में यह और कथन किया गया था कि उसकी पुत्री (मृतका) को जलाकर उसका वध करने के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 304ख के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की और अन्वेषण आरंभ किया। पुलिस ने यह मानते हुए कि यह दहेज मृत्यु का मामला है दंड संहिता की धारा 306 और 304ख के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। उसके पश्चात् मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया। चूंकि अभियुक्त-व्यक्तियों ने अभिकथनों से इनकार किया था इसलिए उनका विचारण किया गया। अभियोगों को सिद्ध करने के लिए ग्यारह साक्षियों की परीक्षा की गई। विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए दोषमुक्ति का निदेश दिया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 306 और धारा 304ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराध के संबंध में अपना पक्षकथन सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित नहीं कर पाया है। अपील में उच्च न्यायालय ने यह पाया कि विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि यह एक आत्महत्या का मामला है, सिद्ध नहीं होता है। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि इस बात की संभावना कि मृतका की जलने से पूर्व हत्या की गई थी, साक्ष्य से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि दोषमुक्ति के मामले में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश की सीमित प्रकृति पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, विशेषकर तब जब उसका निष्कर्ष यह हो कि दोषमुक्ति का आदेश, जहां तक अन्य सह-अभियुक्तों का संबंध है, सही था। यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि कपालास्थियों में अस्थिभंग था, जिससे आत्महत्या का मामला प्रतीत नहीं होता है, चिकित्सीय साक्ष्य के प्रतिकूल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित अपराध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304ख के अधीन आता है जिसमें दहेज की मांग को दंडनीय बनाया गया है। मांग से न तो किसी प्रकार के करार की कल्पना होती है और न ही ऐसी कल्पना की जा सकती है। यदि किसी भी अपराधी को दोषसिद्ध करने के लिए दहेज संबंधी करार को साबित किया जाना चाहिए तब ऐसी स्थिति में शायद ही कोई अपराधी कानून के शिकंजे में आए। धारा 304ख में “दहेज की मांग” के प्रतिनिर्देश किए जाने से ही यह निर्दिष्ट होता है कि इसमें संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग की गई है जैसाकि अधिनियम के अधीन “दहेज” की परिभाषा में निर्दिष्ट किया गया है। इस तर्क में कोई बल नहीं है कि वर्तमान मामले में दहेज की कोई मांग नहीं की गई है। दहेज-मृत्यु और आत्महत्या के मामलों में पारिस्थितिक साक्ष्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पारिस्थितिक साक्ष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 4 का, 1984 के अधिनियम संख्यांक 63 द्वारा भी संशोधन किया गया था, जिसके अधीन वधू के माता-पिता या अन्य नातेदारों या संरक्षक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दहेज की मांग किया जाना अपराध है। धारा 2 में निर्दिष्ट “करार” शब्द का अर्थ प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर लगाना चाहिए। अभियुक्त द्वारा जो यह निर्वचन किए जाने की ईप्सा की गई है कि दोषसिद्धि तभी की जा सकती है यदि दहेज के लिए करार हो, वह भ्रमित धारणा पर आधारित है। यह अधिनियम के समादेश और उद्देश्य के प्रतिकूल होगा। “दहेज” की परिभाषा का निर्वचन अधिनियम की धारा 3 सहित उसके अन्य उपबंधों के साथ किया जाना चाहिए। धारा 3 में दहेज देने या दहेज लेने के प्रति निर्देश है और धारा 4 में दहेज मांगने के लिए अधिनियम और दंड संहिता के अधीन शास्ति का उपबंध किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य संघटकों का समाधान किए जाने पर दहेज की मांग करना भी दंडनीय है। यह सदैव आवश्यक नहीं है कि दहेज के लिए कोई करार किया गया होना चाहिए। (पैरा 9)

दंड संहिता की धारा 304ख में दी गई “दहेज-मृत्यु” की परिभाषा और साक्ष्य अधिनियम की उपधारणात्मक धारा 113ख के शब्दों (भाषा) के अनुसार दोनों उपबंधों के अन्य संघटकों के साथ अनिवार्य संघटकों में से एक संघटक यह है कि संबद्ध स्त्री के साथ “उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व” दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की

गई थी या उसे तंग किया गया था। धारा 113ख के अधीन उपधारणा विधि की एक उपधारणा है। इस धारा में उल्लिखित अनिवार्य संघटकों के सबूत के आधार पर, न्यायालय के लिए यह आबद्धकर हो जाता है कि वह यह उपधारणा करे कि अभियुक्त ने दहेज-मृत्यु कारित की है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख और दंड संहिता की धारा 304ख का संयुक्त रूप से परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि यह दर्शित करने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि पीड़िता (स्त्री) की मृत्यु के कुछ पूर्व उसके साथ क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था। अभियोजन पक्ष को स्वाभाविक या दुर्घटनात्मक मृत्यु की संभाव्यता को खारिज करना चाहिए ताकि उसे “सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होने वाली मृत्यु” की परिधि के अंतर्गत लाया जा सके। जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख और दंड संहिता की धारा 304ख को लागू किया जाता है वहां “कुछ पूर्व” अभिव्यक्ति अति सुसंगत होती है। अभियोजन पक्ष यह दर्शित करने के लिए आबद्धकर होता है कि घटना से कुछ पूर्व (पीड़िता के साथ) क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था और केवल उसी स्थिति में उपधारणा प्रवर्तन में आती है। उस बारे में साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। “कुछ पूर्व” एक सापेक्ष पद है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इसका कोई सीधा अथवा कठोर सूत्र अधिकथित नहीं किया जा सकता है कि घटना के कुछ पूर्व की अवधि कितनी मानी जाए। कोई भी नियत अवधि उपदर्शित करना संकटपूर्ण होगा और इसी कारण दहेज मृत्यु के अपराध के सबूत तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा करने के लिए सामीप्य की कसौटी का महत्व बन जाता है। “उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व” अभिव्यक्ति को, जिसका प्रयोग दंड संहिता की मूल धारा 304ख और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख में किया गया है, सामीप्य की कसौटी के विचार (भाव) को देखते हुए शामिल किया गया है। किसी निश्चित अवधि को उपदर्शित नहीं किया गया है और “कुछ पूर्व” अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (क) में प्रयुक्त “कुछ पूर्व” अभिव्यक्ति को निर्दिष्ट करना सुसंगत है। इसमें यह अधिकथित किया गया है कि न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि (चुराए हुए माल पर) जिस मनुष्य का चोरी के “ठीक बाद” कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बना सके तो या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है।

“कुछ पूर्व” पद के अन्तर्गत आने वाली अवधि के अवधारण का कार्य, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, न्यायालयों पर छोड़ दिया गया है। तथापि, यह उपदर्शित करना पर्याप्त होगा कि “कुछ पूर्व” अभिव्यक्ति से सामान्यतया यह विवक्षित होता है कि संबंधित क्रूरता या तंग करने तथा प्रश्नगत मृत्यु के बीच अधिक समयान्तराल नहीं होना चाहिए। दहेज की मांग के आधार पर की गई क्रूरता के प्रभाव और उससे संबद्ध मृत्यु के बीच सामीप्य और प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। यदि क्रूरता की अभिकथित घटना बहुत समय पूर्व घटित हुई है और इतनी पुरानी हो गई है कि उससे संबंधित महिला का मानसिक संतुलन विचलित नहीं हो सकता, तब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। (पैरा 11 और 12)

आग से जलने के मामले में, करोटि में अस्थिभंग होना स्वाभाविक नहीं है किन्तु वर्तमान मामले में करोटि की हड्डियां टूटी हुई पाई गई थीं। अतः, तथ्य यही सामने आता है कि मृतका की हत्या उसकी मृत्यु के पूर्व ही कर दी गई थी। अतः, उच्च न्यायालय की यह अभिनिर्धारित करने की कार्रवाई न्यायोचित है कि सेशन न्यायाधीश ने यह गलत निष्कर्ष निकाला है कि यह आत्महत्या का मामला है। अभियोजन साक्षी-7 एक स्वतंत्र साक्षी है; जो अभियुक्त का पड़ोसी है। उसका साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार, जब वह उस स्थान पर खड़ा हुआ था जहां मृतका जल रही थी, तब इस साक्षी ने रामदेव से आग बुझाने को कहा जिस पर अपीलार्थी ने कहा कि मृतका जल चुकी है और इसे जलने दो और आग बुझाने से कोई फायदा नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने इस कथन को यह दर्शाने के लिए ठीक ही उजागर किया है कि उसकी (मृतका की) भूमिका, जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित किया गया है, सिद्ध हो गई है।

वे सिद्धांत, जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में की गई अपील उसके द्वारा सुनवाई के संबंध में लागू होते हैं, इस न्यायालय के अनेक मामलों में उपवर्णित किए गए हैं और अजीत सावन्त मजागवी बनाम कर्नाटक राज्य वाले मामले में निम्नलिखित सिद्धांत दोहराए गए हैं कि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध की गई अपील में उच्च न्यायालय को सभी शक्तियां प्राप्त हैं और ये शक्तियां दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई के संबंध में प्राप्त शक्तियों से कम नहीं हैं। यदि उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के महत्व के विरुद्ध हैं या दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि अनुचित

हैं तब उच्च न्यायालय को संपूर्ण मुद्दे पर पुनर्विचार करने, साक्ष्य का पुनःमूल्यांकन करने और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों के स्थान पर अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने की शक्ति प्राप्त है। दोषमुक्ति के निर्णय को उलटने से पूर्व उच्च न्यायालय को ऐसे प्रत्येक आधार पर विचार करना चाहिए जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश किया गया है और उन आधारों को स्वीकार न करने के तथा विचारण न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त इस मत का कि अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है, समर्थन न करने के अपने कारण अभिलिखित करने चाहिए। दोषमुक्ति के निर्णय को उलटने के लिए, उच्च न्यायालय को यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि निर्दोषिता की उपधारणा अभियुक्त के पक्ष में अभी भी की जा सकती है और विचारण न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश द्वारा यह उपधारणा और भी पुष्ट और प्रबलित हो जाती है। यदि उच्च न्यायालय की अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य और अन्य सामग्री की नए सिरे से संवीक्षा और पुनःमूल्यांकन करने पर यह राय है कि युक्तियुक्त रूप से भिन्न मत भी अपनाया जा सकता है, तब ऐसी स्थिति में जो मत अभियुक्त के पक्ष में हो उसे अपनाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि विचारण न्यायालय (विचारण के दौरान) न्यायालय में विशेषकर साक्षी कठघरे में साक्षियों के हाव-भाव और उनके आचरण को परखने की बेहतर स्थिति में होता है। उच्च न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस प्रक्रम पर भी, अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार होता है। संदेह ऐसा होना चाहिए जो कि विवेकयुक्त व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के बारे में ईमानदारी और शुद्ध अंतःकरण से उठे। अभियोजन साक्षी 1, 2, 3, 4 और 5 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से अभियुक्त का लालचीपन दर्शित होता है जो मृतका द्वारा पर्याप्त दहेज न लाने के लिए उसे निरन्तर ताने देता था और तंग करता था। अतः, उच्च न्यायालय की विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को उलटने और उसे दोषसिद्ध किए जाने का निदेश दिए जाने की कार्रवाई न्यायोचित है। इस अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है। (पैरा 16, 17, 18 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2000] ए. आई. आर. 2000 एस. सी. डब्ल्यू. 1630 =
 जे. टी. (2000) 6 एस. सी. 254 :
 हरि राम बनाम राजस्थान राज्य ;

19

| | | |
|--------|---|----|
| [2000] | ए. आई. आर. 2000 एस. सी. डब्ल्यू. 1812 = जे. टी. (2000) 5 एस. सी. 21 : रघबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य ; | 19 |
| [1998] | (1998) 3 एस. सी. सी. 309 : पवन कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य ; | 8 |
| [1997] | ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 3255 : अजीत सावन्त मजागवी बनाम कर्नाटक राज्य ; | 18 |
| [1996] | ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1477 : हरिचन्द्र बनाम दिल्ली राज्य ; | 16 |
| [1995] | ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 2505 : भरवद जक्षीभाई नागजी भाई बनाम गुजरात राज्य ; | 19 |
| [1995] | ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 280 : राम कुमार बनाम हरियाणा राज्य ; | 19 |
| [1990] | ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 2134 : अशोक कुमार बनाम राजस्थान राज्य ; | 20 |
| [1957] | ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 216 : बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य । | 19 |

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2002 की दांडिक अपील सं. 58.

1990 की दांडिक अपील सं. 118 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकल न्यायपीठ के तारीख 25 अप्रैल, 2001 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से

सर्वश्री डूंगर सिंह, अनुपम मिश्र और वी. जे. फ्रान्सिस

प्रत्यर्थी की ओर से

सर्वश्री नवीन कुमार सिंह और अरुणेश्वर गुप्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (डा.) अरिजीत पसायत ने दिया ।

न्या. (डा.) पसायत — इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के विद्वान् एकल न्यायाधीश के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा राजस्थान राज्य द्वारा फाइल की गई उस अपील को मंजूर

किया गया था जिसमें विद्वान् सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय की शुद्धता को प्रश्नगत किया गया था। अपीलार्थी और दो अन्य (अभियुक्तों) का भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'दंड संहिता') की धारा 306 और 304, भाग-ख और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम') की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध अभिकथित रूप से कारित करने के लिए विचारण किया गया था।

2. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष द्वारा यह बताया गया :-

तारीख 23 अप्रैल, 1988 को अपराह्न लगभग 2.05 बजे अभियुक्त कृष्ण लाल ने पुलिस थाना पुरानी आबादी, श्री गंगानगर के थाना अध्यक्ष जगमालराम (अभि. सा.-11) के समक्ष एक मौखिक रिपोर्ट प्रदर्श पी/12 दर्ज कराई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन किया गया था कि उसका विवाह श्रीमती राजू (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मृतका' कहा गया है) के साथ वर्ष 1984 में हुआ था और उसके पिता की मृत्यु 15 वर्ष पहले ही हो गई थी और तब से वह अपनी माता प्रेम कंवर, वर्तमान अपीलार्थी, और चाचा पूरन चंद के साथ रह रहा था और वह नौकरी में नहीं था और इस प्रकार बेरोजगार था। उस दिन वह किसी काम से अपने मकान से बाहर गया था और जब वह अपराह्न लगभग 1.30 बजे वापस आया तो उसने अपने मकान के निकट भीड़ देखी और अपने मकान में आंग लगी हुई देखी और लोग आग बुझा रहे थे और उसे पता चला कि उसकी पत्नी, मृतका, जल गई है और उसकी मृत्यु हो गई है और इसीलिए वह पुलिस को सूचित करने आया है।

पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 7/88 रजिस्ट्रीकृत की और अन्वेषण आरंभ किया।

अन्वेषण के दौरान, मृतका के शव का शव-परीक्षण कराया गया और शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/3 पर है, जिसमें डाक्टरों ने यह राय व्यक्त की है कि मृतका की मृत्यु उसे मृत्युपूर्व पहुंची दुग्ध क्षतियों के कारण श्वासावरोध हो जाने से हुई है।

जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 7/88 में अन्वेषण किया जा रहा था, तब मृतका के पिता बचना राम (अभियोजन साक्षी-1) ने तारीख

26 अप्रैल, 1988 को पुलिस थाना पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन किया गया था कि तीनों अभियुक्तों ने उसकी पुत्री (मृतका) को जलाकर उसकी हत्या की है और उसे यह भी पता चला है कि अभियुक्त की ओर से एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है जिसमें यह कथन किया गया है कि मृतका ने आत्महत्या की है किन्तु वास्तविकता यह है कि तीनों अभियुक्तों ने उसकी हत्या की है। रिपोर्ट में यह भी कथन किया गया था कि तीनों अभियुक्त मृतका को उत्पीड़ित किया करते थे और यातना दिया करते थे क्योंकि वह अशिक्षित महिला थी और अभियुक्त सं. 1, कृष्ण लाल (मृतका का पति) शिक्षित व्यक्ति था और अभियुक्त यह कहा करता था कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं दिया गया है और इस प्रकार, वे उसे (मृतका को) यातना पहुंचाते रहते थे, उत्पीड़ित करते रहते थे और उसका अपमान करते रहते थे। रिपोर्ट में यह और कथन किया गया था कि उसकी पुत्री (मृतका) को जलाकर उसका वध करने के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 304ख के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पी/2 दर्ज की और अन्वेषण आरंभ किया।

यथारीति अन्वेषण करने के पश्चात्, पुलिस ने अन्य बातों के साथ-साथ यह मानते हुए कि यह दहेज मृत्यु का मामला है दंड संहिता की धारा 306 और 304ख के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। उसके पश्चात् मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया।

चूंकि अभियुक्त-व्यक्तियों ने अभिकथनों से इनकार किया था इसलिए उनका विचारण किया गया। अभियोगों को सिद्ध करने के लिए ग्यारह साक्षियों की परीक्षा की गई। विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए दोषमुक्ति का निदेश दिया कि -

1. यह मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला है।

2. मृतका की मृत्यु जलने से हुई है और यह मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई है ।

3. मृतका का पिता बचना राम (अभियोजन साक्षी-1) अपने पुत्र के विवाह के समय पर मृतका को अपने घर ले गया था और उसे 12 मास तक अपने घर में रखा और उस अवधि के दौरान उसकी (मृतका की) ससुराल से कोई भी उसे वापस ले जाने के लिए नहीं आया ।

4. रायराम (अभियोजन साक्षी-4) के पुत्र के विवाह के समय, बचना राम (अभियोजन साक्षी-1) और अभियोजन साक्षी-4 मृतका को लेने उसकी ससुराल गए जहां पर अभियुक्त प्रेम कंवर (मृतका की सास) ने नाराजगी व्यक्त की और उन्हें मृतका को वहां से ले जाने के लिए कहा और उसके कपड़े भी फेंक दिए थे ।

5. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने उपरोक्त तथ्यों को अपने आक्षेपित निर्णय के पृष्ठ 19 और 20 पर स्वीकार किया है । तथापि, उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि अभियुक्त प्रेम कंवर (मृतका की सास) का यह कथन कुछ सीमा तक आक्षेपणीय है, किन्तु उसके कथन के इस भाग से दहेज मृत्यु या आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला नहीं बनता है ।

6. अभियोजन पक्ष अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 306 और धारा 304ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराध के संबंध में अपना पक्षकथन सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित नहीं कर पाया है ।

यह उल्लेखनीय है कि तीन अभियुक्त व्यक्ति निम्न रूप से मृतक के नातेदार हैं :-

कृष्ण लाल मृतका का पति है, पूरन चन्द चचिया श्वसुर है और प्रेम कंवर अर्थात् वर्तमान अपीलार्थी (मृतका की) सास है ।

उच्च न्यायालय ने यह पाया कि विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि यह एक आत्महत्या का मामला है, सिद्ध नहीं होता है । उच्च न्यायालय ने यह पाया कि इस बात की

संभावना कि मृतका की जलने से पूर्व हत्या की गई थी, साक्ष्य से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

3. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसिल ने यह दलील दी कि दोषमुक्ति के मामले में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश की सीमित प्रकृति पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, विशेषकर तब जब उसका निष्कर्ष यह हो कि दोषमुक्ति का आदेश, जहां तक अन्य सह-अभियुक्तों का संबंध है, सही था। यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि कपालास्थियों में अस्थिभंग था, जिससे आत्महत्या का मामला प्रतीत नहीं होता है, चिकित्सीय साक्ष्य के प्रतिकूल है। उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि धारा 304ख को लागू करने के संबंध में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मृत्यु का कारण आत्महत्या है या मानव वध।

4. धन्नी देवी (अभियोजन साक्षी-5) के साक्ष्य के प्रति निर्देश करते हुए यह दलील दी गई कि उसका साक्ष्य अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।

5. इसके उत्तर में, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान् काउंसिल ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

6. दंड संहिता की धारा 304ख को लागू किए जाने के संबंध में निम्नलिखित संघटकों को पूरा किया जाना चाहिए :

(i) स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की गई होनी चाहिए या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई होनी चाहिए।

(ii) ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई होनी चाहिए।

(iii) स्त्री की मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति द्वारा या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई होनी चाहिए या उसे तंग किया गया होना चाहिए।

(iv) ऐसी क्रूरता या इस प्रकार तंग किया जाना दहेज की मांग के संबंध में होना चाहिए।

धारा 304ख और धारा 498क निम्न प्रकार हैं :

“304ख. दहेज मृत्यु – (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को “दहेज मृत्यु” कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ‘दहेज’ का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।”

“498क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना – जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ‘क्रूरता’ से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की संभावना है ; या

(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीडित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी

व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है।”

7. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (जिसे संक्षेप में ‘दहेज अधिनियम’ कहा गया है) की धारा 2 में “दहेज” पद को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :

“धारा 2. ‘दहेज’ की परिभाषा — इस अधिनियम में ‘दहेज’ से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् किसी समय —

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को ; या

(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को,

उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, किन्तु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अन्तर्गत नहीं है।

स्पष्टीकरण 1 — शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि विवाह के समय विवाह के किसी भी एक पक्षकार को नकदी, आभूषणों, वस्त्रों या अन्य वस्तुओं के रूप में दी गई किन्हीं भेंटों को इस धारा के अर्थान्तर्गत तब तक दहेज नहीं समझा जाएगा जब तक कि वे भेंटें उक्त पक्षकारों के विवाह के प्रतिफलस्वरूप न दी गई हों।

स्पष्टीकरण 2 — ‘मूल्यवान प्रतिभूति’ पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 30 में है।”

8. धारा 304ख के स्पष्टीकरण में दहेज के प्रति उसी अर्थ में निर्देश किया गया है जैसाकि अधिनियम की धारा 2 में है, प्रश्न यह है उसमें यथा परिभाषित दहेज की परिधि क्या है ? उपबंध में उल्लिखित “दी जाने के लिए करार की गई है” शब्दों को दृष्टिगत करते हुए विवाह के समय करार होना चाहिए, और ऐसे किसी भी साक्ष्य के न होने पर, इसे ‘दहेज’ नहीं

ठहराया जाएगा । यह ध्यान देने योग्य है कि संशोधन द्वारा इस परिभाषा में न केवल विवाह के पूर्व की अवधि या विवाह के समय की अवधि को सम्मिलित किया गया है अपितु इसके अन्तर्गत विवाह के पश्चात् की अवधि भी सम्मिलित है । इस स्थिति को पवन कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य¹ वाले मामले में उजागर किया गया है ।

9. अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित अपराध दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आता है जिसमें दहेज की मांग को दंडनीय बनाया गया है । मांग से न तो किसी प्रकार के करार की कल्पना होती है और न ही ऐसी कल्पना की जा सकती है । यदि किसी भी अपराधी को दोषसिद्ध करने के लिए दहेज संबंधी करार को साबित किया जाना चाहिए तब ऐसी स्थिति में शायद ही कोई अपराधी कानून के शिकंजे में आए । धारा 304ख में “दहेज की मांग” के प्रतिनिर्देश किए जाने से ही यह निर्दिष्ट होता है कि इसमें संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग की गई है जैसाकि अधिनियम के अधीन “दहेज” की परिभाषा में निर्दिष्ट किया गया है । इस तर्क में कोई बल नहीं है कि वर्तमान मामले में दहेज की कोई मांग नहीं की गई है । दहेज-मृत्यु और आत्महत्या के मामलों में पारिस्थितिक साक्ष्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । पारिस्थितिक साक्ष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है । यह महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 4 का, 1984 के अधिनियम संख्यांक 63 द्वारा भी संशोधन किया गया था, जिसके अधीन वधू के माता-पिता या अन्य नातेदारों या संरक्षक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दहेज की मांग किया जाना अपराध है । धारा 2 में निर्दिष्ट “करार” शब्द का अर्थ प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर लगाना चाहिए । अभियुक्त द्वारा जो यह निर्वचन किए जाने की ईप्सा की गई है कि दोषसिद्धि तभी की जा सकती है यदि दहेज के लिए करार हो, वह भ्रमित धारणा पर आधारित है । यह अधिनियम के समादेश और उद्देश्य के प्रतिकूल होगा । “दहेज” की परिभाषा का निर्वचन अधिनियम की धारा 3 सहित उसके अन्य उपबंधों के साथ किया जाना चाहिए । धारा 3 में दहेज देने या दहेज लेने के प्रति निर्देश है और धारा 4 में दहेज मांगने के लिए अधिनियम और दंड संहिता के अधीन शास्ति का उपबंध किया गया है ।

¹ (1998) 3 एस. सी. सी. 309.

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य संघटकों का समाधान किए जाने पर दहेज की मांग करना भी दंडनीय है। यह सदैव आवश्यक नहीं है कि दहेज के लिए कोई करार किया गया होना चाहिए।

10. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख भी वर्तमान मामले में सुसंगत है। जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है दहेज मृत्यु के बढ़ते संत्रास का प्रत्युपाय करने की दृष्टि से दंड संहिता में धारा 304ख और साक्ष्य अधिनियम में धारा 113ख को दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 43) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया था। धारा 113ख निम्न प्रकार है :—

“113ख. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा — जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए “दहेज मृत्यु” का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304ख में है।”

11. ‘दहेज मृत्यु और विधि’ सुधार संबंधी भारतीय विधि आयोग द्वारा तारीख 10 अगस्त, 1988 की उसकी 21वीं रिपोर्ट में दोनों उपबंधों के अन्तःस्थापन की आवश्यकता का पर्याप्त रूप से विश्लेषण किया गया है। पूर्व-विद्यमान विधि में दहेज से संबंधित मृत्यु को साबित करने के लिए साक्ष्य जुटाने में आने वाली अड़चनों को दृष्टिगत करते हुए, विधायिका ने कतिपय अनिवार्य घटकों के सबूत के आधार पर दहेज मृत्यु की उपधारणा के संबंध में उपबंध अन्तःस्थापित करना उचित समझा। इस पृष्ठभूमि के आधार पर, साक्ष्य अधिनियम में उपधारणात्मक धारा 113ख अन्तःस्थापित की गई। दंड संहिता की धारा 304ख में दी गई “दहेज मृत्यु” की परिभाषा और साक्ष्य अधिनियम की उपधारणात्मक धारा 113ख के शब्दों (भाषा) के अनुसार दोनों उपबंधों के अन्य संघटकों के साथ अनिवार्य संघटकों में से एक संघटक यह है कि संबद्ध स्त्री के साथ “उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व”

दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था। धारा 113ख के अधीन उपधारणा विधि की एक उपधारणा है। इस धारा में उल्लिखित अनिवार्य संघटकों के सबूत के आधार पर, न्यायालय के लिए यह आबद्धकर हो जाता है कि वह यह उपधारणा करे कि अभियुक्त ने दहेज मृत्यु कारित की है। निम्न अनिवार्यताओं के सबूत के आधार पर ही उपधारणा की जाएगी :

(1) न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या अभियुक्त ने स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है। (इसका यह अर्थ हुआ कि उपधारणा केवल तभी की जा सकती है जब अभियुक्त का विचारण दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आने वाले अपराध के लिए किया जा रहा हो)।

(2) स्त्री के पति या उसके पति के नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था।

(3) ऐसी क्रूरता या उसे इस प्रकार तंग दहेज की किसी मांग के संबंध में किया गया था।

(4) ऐसी क्रूरता या इस प्रकार उसे उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व तंग किया गया था।

12. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख और दंड संहिता की धारा 304ख का संयुक्त रूप से परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि यह दर्शित करने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि पीड़िता (स्त्री) की मृत्यु के कुछ पूर्व उसके साथ क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था। अभियोजन पक्ष को स्वाभाविक या दुर्घटनात्मक मृत्यु की संभाव्यता को खारिज करना चाहिए ताकि उसे “सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होने वाली मृत्यु” की परिधि के अंतर्गत लाया जा सके। जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख और दंड संहिता की धारा 304ख को लागू किया जाता है वहां ‘कुछ पूर्व’ अभिव्यक्ति अति सुसंगत होती है। अभियोजन पक्ष यह दर्शित करने के लिए आबद्धकर होता है कि घटना से कुछ पूर्व (पीड़िता के साथ) क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था और केवल उसी स्थिति में उपधारणा प्रवर्तन में आती है। उस बारे में साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ‘कुछ पूर्व’ एक सापेक्ष पद है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इसका कोई सीधा

अथवा कठोर सूत्र अधिकथित नहीं किया जा सकता है कि घटना के कुछ पूर्व की अवधि कितनी मानी जाए। कोई भी नियत अवधि उपदर्शित करना संकटपूर्ण होगा और इसी कारण दहेज मृत्यु के अपराध के सबूत तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा करने के लिए सामीप्य की कसौटी का महत्व बन जाता है। 'उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व' अभिव्यक्ति को, जिसका प्रयोग दंड संहिता की मूल धारा 304ख और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख में किया गया है, सामीप्य की कसौटी के विचार (भाव) को देखते हुए शामिल किया गया है। किसी निश्चित अवधि को उपदर्शित नहीं किया गया है और 'कुछ पूर्व' अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (क) में प्रयुक्त 'कुछ पूर्व' अभिव्यक्ति को निर्दिष्ट करना सुसंगत है। इसमें यह अधिकथित किया गया है कि न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि (चुराए हुए माल पर) जिस मनुष्य का चोरी के 'ठीक बाद' कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बना सके तो या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। 'कुछ पूर्व' पद के अन्तर्गत आने वाली अवधि के अवधारण का कार्य, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, न्यायालयों पर छोड़ दिया गया है। तथापि, यह उपदर्शित करना पर्याप्त होगा कि 'कुछ पूर्व' अभिव्यक्ति से सामान्यतया यह विवक्षित होता है कि संबंधित क्रूरता या तंग करने तथा प्रश्नगत मृत्यु के बीच अधिक समयान्तराल नहीं होना चाहिए। दहेज की मांग के आधार पर की गई क्रूरता के प्रभाव और उससे संबद्ध मृत्यु के बीच सामीप्य और प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। यदि क्रूरता की अभिकथित घटना बहुत समय पूर्व घटित हुई है और इतनी पुरानी हो गई है कि उससे संबंधित महिला का मानसिक संतुलन विचलित नहीं हो सकता, तब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है।

13. डा. राजेन्द्र कुमार गुप्ता (अभियोजन साक्षी-6) के कथन में चिकित्सीय साक्ष्य का उल्लेख किया गया है। उन्होंने यह कथन किया है कि मृतका के शव का शव-परीक्षण करने के लिए, तारीख 25 अप्रैल, 1988 को चिकित्सा बोर्ड गठित किया गया था और उसमें उसके अतिरिक्त, डा. ओ. पी. शर्मा और डा. अविनाश सरदाना भी बोर्ड के सदस्य थे। डा. गुप्ता ने यह भी कथन किया कि मृतका का शव तारीख 23

अप्रैल, 1988 को अपराह्न लगभग 8 बजे प्राप्त हुआ था और उसे बर्फ पर रखा गया था तथा मृतका के शव का शव-परीक्षण तारीख 25 अप्रैल, 1988 को किया गया था और परीक्षण किए जाने पर निम्नलिखित पहलू सामने आए थे :

1. संपूर्ण शरीर जला हुआ था ।
2. मृतका के सिर के बाल पूरी तरह जल गए थे ।
3. करोटि का बाहरी भाग बाहर निकल आया था ।
4. मृतका के बाएं प्रबाहु में नौ चूड़ियां और एक कड़ा पाया गया था ।
5. मृतका की करोटि की हड्डियां टूटी हुई पायी गई थीं ।

14. चिकित्सक ने यह राय दी कि मृतका की मृत्यु मृत्युपूर्व जलने से होने वाले श्वासावरोध के कारण हुई थी । उसने शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/3 को साबित किया है ।

15. इस प्रकार, शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी/3 और डा. राजेन्द्र कुमार गुप्ता (अभियोजन साक्षी-6) के कथन से यह तथ्य पूरी तरह सिद्ध हो जाता है कि मृतका की मृत्यु जलने से हुई थी और मृतका के शव के शव-परीक्षण के समय पर उसकी करोटि की हड्डियां टूटी हुई पाई गई थीं ।

16. आग से जलने के मामले में, करोटि में अस्थिभंग होना स्वाभाविक नहीं है किन्तु वर्तमान मामले में करोटि की हड्डियां टूटी हुई पाई गई थीं । अतः, तथ्य यही सामने आता है कि मृतका की हत्या उसकी मृत्यु के पूर्व ही कर दी गई थी । अतः, उच्च न्यायालय की यह अभिनिर्धारित करने की कार्यवाही न्यायोचित है कि सेशन न्यायाधीश ने यह गलत निष्कर्ष निकाला है कि यह आत्महत्या का मामला है ।

17. जसविन्दर सिंह (अभियोजन साक्षी-7) एक स्वतंत्र साक्षी है, जो अभियुक्त का पड़ोसी है । उसका साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है । उसके अनुसार, जब वह उस स्थान पर खड़ा हुआ था जहां मृतका जल रही थी, तब इस साक्षी ने रामदेव से आग बुझाने को कहा जिस पर अपीलार्थी ने कहा कि मृतका जल चुकी है और इसे जलने दो और आग बुझाने से कोई फायदा नहीं होगा । उच्च न्यायालय ने इस कथन को यह दर्शाने के लिए

ठीक ही उजागर किया है कि उसकी (मृतका की) भूमिका, जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित किया गया है, सिद्ध हो गई है।

18. वे सिद्धांत, जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में की गई अपील उसके द्वारा सुनवाई के संबंध में लागू होते हैं, इस न्यायालय के अनेक मामलों में उपवर्णित किए गए हैं और अजीत सावन्त मजागवी बनाम कर्नाटक राज्य¹ वाले मामले में निम्नलिखित सिद्धांत दोहराए गए हैं :-

1. दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध की गई अपील में उच्च न्यायालय को सभी शक्तियां प्राप्त हैं और ये शक्तियां दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई के संबंध में प्राप्त शक्तियों से कम नहीं हैं।

2. यदि उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के महत्व के विरुद्ध हैं या दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि अनुचित हैं तब उच्च न्यायालय को संपूर्ण मुद्दे पर पुनर्विचार करने, साक्ष्य का पुनःमूल्यांकन करने और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों के स्थान पर अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने की शक्ति प्राप्त है।

3. दोषमुक्ति के निर्णय को उलटने से पूर्व उच्च न्यायालय को ऐसे प्रत्येक आधार पर विचार करना चाहिए जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश किया गया है और उन आधारों को स्वीकार न करने के तथा विचारण न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त इस मत का कि अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है, समर्थन न करने के अपने कारण अभिलिखित करने चाहिए।

4. दोषमुक्ति के निर्णय को उलटने के लिए, उच्च न्यायालय को यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि निर्दोषिता की उपधारणा अभियुक्त के पक्ष में अभी भी की जा सकती है और विचारण न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश द्वारा यह उपधारणा और भी पुष्ट और प्रबलित हो जाती है।

¹ ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 3255.

5. यदि उच्च न्यायालय की अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य और अन्य सामग्री की नए सिरे से संवीक्षा और पुनःमूल्यांकन करने पर यह राय है कि युक्तियुक्त रूप से भिन्न मत भी अपनाया जा सकता है, तब ऐसी स्थिति में जो मत अभियुक्त के पक्ष में हो उसे अपनाया जाना चाहिए ।

6. उच्च न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि विचारण न्यायालय (विचारण के दौरान) न्यायालय में विशेषकर साक्षी कठघरे में साक्षियों के हाव-भाव और उनके आचरण को परखने की बेहतर स्थिति में होता है ।

7. उच्च न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस प्रक्रम पर भी, अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार होता है । संदेह ऐसा होना चाहिए जो कि विवेकयुक्त व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के बारे में ईमानदारी और शुद्ध अंतःकरण से उठे ।

19. इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य¹, राम कुमार बनाम हरियाणा राज्य², भरवद जक्षीभाई नागजी भाई बनाम गुजरात राज्य³, हरिचन्द्र बनाम दिल्ली राज्य⁴, रघबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य⁵ और हरि राम बनाम राजस्थान राज्य⁶ वाले मामलों के विनिश्चयों का अवलोकन करें ।

20. इस न्यायालय ने अशोक कुमार बनाम राजस्थान राज्य⁷ वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि —

“दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील में (हस्तक्षेप करते समय अपील न्यायालय) द्वारा बहुत ही सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि

¹ ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 216.

² ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 280.

³ ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 2505.

⁴ ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1477.

⁵ ए. आई. आर. 2000 एस. सी. डब्ल्यू. 1812 = जे. टी. (2000) 5 एस. सी. 21.

⁶ ए. आई. आर. 2000 एस. सी. डब्ल्यू. 1630 = ए. जे. टी. (2000) 6 एस. सी. 254.

⁷ ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 2134.

विचारण न्यायाधीश साक्षियों के व्यवहार-चलन को देखने की बेहतर स्थिति में होता है, इसलिए (अपील न्यायालय द्वारा) मात्र इस कारण से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए कि इसमें भिन्न मत भी व्यक्त किया जा सकता है। प्राज्ञता यह कहती है कि मात्र संभाव्यता या संभावना के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए किन्तु अनुचितता या गलत परिशीलन किए जाने की स्थिति में हस्तक्षेप किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा शक्तियों की विद्यमानता अर्थहीन हो जाएगी। वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय का निर्णय दूषित है क्योंकि मामले को असंगत विचारणा के आधार पर विनिश्चित किया गया है जो कि अत्यंत गंभीर गलती है जिसका वह दोषी है और इस गलती से वह आदेश निर्बल हो जाता है जो उच्च न्यायालय द्वारा अपारत किया जा सकता था क्योंकि उस मामले में विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का गलत अर्थ निकाला था और अनुमान और अटकलों के आधार पर निर्णय दिया था।”

21. अभियोजन साक्षी 1, 2, 3, 4 और 5 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से अभियुक्त का लालचीपन दर्शित होता है जो मृतका द्वारा पर्याप्त दहेज न लाने के लिए उसे निरन्तर ताने देता था और तंग करता था। अतः, उच्च न्यायालय की विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश को उलटने और उसे दोषसिद्ध किए जाने का निदेश दिए जाने की कार्रवाई न्यायोचित है। इस अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

अपील खारिज की गई।

अस./ज.